

**कार्यालय,
सचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या - प्राथि/वीनव/सम्बद्धता/2019/1132

लखनऊ दिनांक: 15-9-2019

:-कार्यालय द्वारा:-

अधिकांश सरकारी प्राथमिक शिक्षा परिषद द्वारा वार्षिक सत्र 2018-20 हेतु निर्धारित सरकारी प्राथमिक शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-9-2019 को अध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक संभल गई। बैठक में सत्र 2018-20 हेतु अधिकांश सरकारी प्राथमिक शिक्षा संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से सम्बद्धता संस्थाओं का सम्बद्धता विस्तार/वादावधान/प्रति प्रति अग्रत पुष्टि/सभी हेतु सत्र 2018-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति को बैठक के मा-3 में निर्धारित इन कार्यों का वादावधान सम्बद्धता प्रदान करते सभी सरकारी प्राथमिक शिक्षा संस्थाओं को सम्बद्धता प्रदान किया गया। सम्बद्धता समिति द्वारा प्रदान किया-विस्तार का निम्नलिखित निम्नलिखित किया गया :-

ए0आइ0सी0टी0ई0 द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्रमाक-2 में अधिकांश पूर्व से सम्बद्ध डिप्लोमा फार्मसी संस्थाओं को संभव में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया और सर्वसम्मति से सत्रमाक-2 में अधिकांश संस्थाओं को सत्र 2018-20 हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय इस सत्र के साथ लिया गया कि संस्थाओं को डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में प्रवेश की संसृति सत्र 2018-20 हेतु संसृति प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित कम्प्यूटर्सिज प्रारंभ होने के पूर्व पी0सी0आई0 अनुमोदन पत्र परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराने के उपरान्त ही की जाएगी।

इस निम्नानुसार सरकारी संस्था को परिषद की निर्धारित समिति एवं विचार-विमर्श द्वारा की गयी संसृति तथा सम्बद्धता समिति द्वारा किये गये निर्णय के उपरान्त प्र प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा सत्र 2018-20 हेतु निम्नलिखित सत्रों के अधीन वादावधान एवं प्रदान अधिकांश प्रति अग्रत हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	संस्था का नाम	संस्था का पता	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आइ0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2018-20 अनुमोदित संभव	परिषद द्वारा सत्र 2018-20 अनुमोदित संभव
1	आर	सदर प्रशासन अति कार्यालय	विज्ञान इन फार्मसी	आ	आ

सम्बद्धता हेतु सर्त

- ✓ संस्था ए0आइ0सी0टी0ई0 द्वारा निर्धारित की सर्तों सर्त का पूर्ण पालन करेगी।
- ✓ संस्था द्वारा प्रति प्राथमिक शिक्षा परिषद द्वारा लखनऊ तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद डिप्लोमावादी लखनऊ तथा अन्य प्राथमिक शिक्षा परिषदों को अनुमोदन करेगी तथा द्वारा निर्धारित समिति द्वारा निर्धारित शुल्क वीन सत्र 2018-20 के लिए वादावधान हेतु आर का 10000/-, अधिकांश से वीन फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु आर - 50,000/-, अधिकांश से एक लख से वीन वादावधान एवं वीन फार्मसी पाठ्यक्रम के अधिकांश हेतु आर - 20,000/- अधिकांश शुल्क ही अधिकांश प्रदान/आर से प्रदान किया जाएगा। अधिकांश से अधिकांश प्रदान/आर से प्रदान की सम्बद्धता व 1000-अग्रत का प्रदान द्वारा निर्धारित किये जाते सभी सम्बद्धता प्रदान की जाते, और अनुमोदन कार्यालयी किये जाते सम्बद्धता प्रदान। वीन निर्धारित समिति द्वारा की सत्र 2018-20 हेतु वीन का पुष्टिवाक्य किया जाते है, जो वीन की अधिकांश से अनुमोदित।

**कार्यालय,
सचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद,
राज्य प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राथिप/परिषद सम्बद्धता/2020/1671

लखनऊ दिनांक 15-8-2020

-कार्यालय द्वारा-

उदित राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली/राज्यीय कार्यालय जौनपुर, नई दिल्ली द्वारा संचालित सत्र 2020-21 हेतु विद्यार्थी राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुसूचना प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ संलग्नक से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को संलग्न प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक आयोजित हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवंटित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य बंधों पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान करने जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक को 14-8 में विद्यार्थी इन कार्यो पर पाठ्यक्रम संचालित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा महान विचार-विमर्श कर निम्नलिखित निर्णय लिया गया :-

"सिटी क्षेत्र में स्थापित विद्यार्थी इन कार्यो पर पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं, जो प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ संलग्नक से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पीसीआईई द्वारा जारी क्षमताएं अनुसूचना विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीसीआईई द्वारा प्रदान किये गये अनुसूचना विस्तार के अनुसार प्रत्येक नाम के सम्बद्ध प्राथमिक पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पीसीआईई द्वारा प्रदान अनुसूचना विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार देने जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-08-2020 को आयुक्त सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था जो प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ संलग्नक द्वारा सत्र 2020-21 हेतु नियुक्तित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पीसीआईई द्वारा सत्र 2020-21 में अनुसूचित प्रवेश क्षमता	पीसीआईई / परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुसूचित प्रवेश क्षमता
1	आर.एस.एस. प्राइमरी स्कूल, नई दिल्ली	प्राथमिक शिक्षा	10	10

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था पीसीआईई/पीसीआईई द्वारा नियुक्त की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था अपने प्रवेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एवं लखनऊ प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1982, विनियम विनियमवली-2010 तथा अन्य विहित विधियों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क वीन वरीय इन्फो तकनीकी हेतु रु० 20,000/- प्रवेश, दो वरीय कार्यो पर पाठ्यक्रम हेतु रु० 40,000/- प्रवेश एवं एक तथा दो वरीय पाठ्यक्रमों (दो वरीय कार्यो पर पाठ्यक्रम से अधिकाधिक) हेतु रु० 22,000/- प्रवेश शुल्क की प्रत्येक छात्र/छात्रा से वसूल किया जाएगा। उपरोक्त के अधिकाधिक छात्र/छात्राओं के शुल्क के सम्बन्ध में संलग्न-संलग्नक पर बतलाने द्वारा निर्णय किये जाने वाले सम्बन्धों पर प्रत्येक क्षेत्र, जौनपुर कार्यालय विद्य



जाना जासकत होय। नीस निर्देशन समिति द्वारा उचित रूप 2020-21 हेतु नीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, जो नीस की पंजीकरण एवं लागू होगी।

- ✓ राज्य को (2020) प्राथमिक शिक्षा समितियों तथा एवं समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाता, विनियमन-2020 को सही का अनुपालन करना होगा।
- ✓ राज्य में संयुक्त प्रदेश प्राथमिक शिक्षा द्वारा आवंटित करों को ही प्रदेश दिया जाएगा; सीटी को मिले हुए करों की स्थिति में प्रत्येक प्रदेश सरकार के विनियमन ही प्रदेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ राज्य को राज्य-सरकार या निर्वाह सरकारों के अनुदान निर्धारण एवं सम्बद्धता सुनिश्चित करना होगा।
- ✓ राज्य को एनएचटी/पीपीएफ/पीएचए/पीएचए से आगामी वर्ष हेतु अनुदान प्राप्त किया जाता जासकत होगा।
- ✓ राज्य सरकार प्रदेश सरकार द्वारा कराई गई शिक्षा/निवेश/अभियंता/सामग्री/निवेश एवं निर्माण, प्राथमिक शिक्षा (2020) संयुक्त प्रदेश प्राथमिक शिक्षा, राज्य तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, 2020 द्वारा कराई गई निवेश, विनियम, अंशों, निर्देशों का पालन करने के बिना किया जाए।
- ✓ निर्देशों एवं कार्यवाही अनुपालन की संख्या एवं पैटीट/आई नई दिल्ली से अनुदान प्राप्त करने में सरकार नहीं है तो इस संख्या में प्रत्येक प्रशासनिक संस्था का होना और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए राज्य एवं सरकारों होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रदेश प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा निर्देशात्मक एवं प्राथमिक शिक्षा निवेश प्राप्त प्रदेश सरकार को सही रूप पालन किया जाता है तथा राज्य सरकार को राज्य में नए न्यायों द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी कार्यवाही निर्वाह किया जाता है जो प्रत्येक प्रतिक्रिया संबंधी कार्यवाही को करती होगी।
- ✓ निर्देशों एवं कार्यवाही अनुपालन संबंधित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रदेश प्राथमिक शिक्षा, प्रत्येक प्रदेश सरकार द्वारा कराई गई एवं लिए आवंटित प्राथमिक शिक्षा हेतु कार्यवाही प्राप्त होने के पूर्व पीपीएचए/पीएचए से अनुदान प्राप्त कर परिषद कार्यवाही को प्रस्ताव करना होगा क्योंकि एवं प्रदेश की (कार्यालय) के पालन में प्रत्येक संस्था सरकार एवं सीटी प्रवेश) अनुभूति नहीं करना की जाएगी।
- ✓ प्रत्येक प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश हेतु निर्वाह पंजीकरण आयोग निर्देशों का अनुपालन करना जासकत होगा।
- ✓ राज्य को अपने वेबसाइट पर राज्य की संस्था सुनिश्चित करी संख्या की ऐतिहासिक सुविधाएं, राज्य, राज्य-सरकार, सरकार, प्राप्त किया जाने वाले सुनिश्चित, आयोग सुनिश्चित एवं सही का निर्माण जासकत कराना होगा।
- ✓ राज्य को शिक्षा-निवेश हेतु अनुदान प्रस्तावना प्रस्ताव करने के साथ निर्वाह वेबसाइट के सम्बन्ध में प्रत्येक प्रकारका संस्था सुनिश्चित करती होगी।
- ✓ राज्य को सुनिश्चित हो ले कि राज्य में प्रशासनिक/संस्थागत अनुपालन को कराने एवं हेतु निर्देशन समिति को राज्य सरकार कराने एवं निर्देशन, सुनिश्चित, कार्यवाही, प्रस्तावना प्रस्ताव का एवं राज्य द्वारा किसी अन्य अनुपालन के सम्बन्ध में प्रस्ताव दिया जाता है और प्राथमिक को इसकी जानकारी होगी है कि राज्य सरकार का प्रस्ताव किसी अन्य कार्य के लिए कर ली है तो प्रत्येक राज्य को सम्बद्धता प्रस्ताव किये जाने की अनुमति की जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता सही का अनुपालन न किये जाने प्रत्येक सही का प्रस्ताव किये जाने की स्थिति में विनियमन अनुपालन कराने वाली होगी।

(रतु अंगरेजी निर)
रतु

पुनर्- प्राथमिक/प्राथमिक सम्बद्धता/2020/ 1972-2141

तथा दिनांक 15-09-2020

व्यक्ति-आयोग/निदेशक, सही/कीर्तन और कार्यवाही सही।

(रतु अंगरेजी निर)
रतु

कार्यालय

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राविच/परिषद/सम्ब/उसा/2021/3637

तखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

कार्यालय ज्ञापन:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वैदिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संभव हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अर्हकित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य सटीक पर विचार करती हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अर्हकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4865-SAI COLLEGE OF PHARMACY , MAU

क्र.सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, संशोधन विनियमवली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा कुल निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित कुल तीन वर्षीय इंग्लीश पाठ्यक्रमों हेतु ₹०- 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु ₹०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹०-22500.00/- प्रतिवर्ष कुल ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से कुल के सम्बन्ध में समग्र-समय पर सफलता प्राप्त निर्णय किये जाने वाले वासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। शीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु शीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो शीस की यथोक्त दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को (उ०प्र०) प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं को संबद्ध किया जाना) विनियमवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश वास्तव के निर्दिक्तानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समग्र-समय पर निर्णय वासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता कुल जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश वास्तव द्वारा बनाये गये विधिलिपि/अधिनियम/वासनादेश/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती हैं तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश वास्तव की कोई पाठ्यक्रम

किया जाता है तथा बाहर बाहर के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करना होगा।

- ✓ किसी भी इन फार्मों पर पाठ्यक्रम संशोधित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश तकनीक द्वारा प्रवेश वर्ष के लिए आवेदित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पीपीसीआईए से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कायद्वारा को उपलब्ध करना होगा अथवा उन्हें प्रवेश को (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण विधियों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्ति किया जाने वाला सुन, छात्रावास सुन आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रक्रिया हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध करने के साथ शैक्षणिक होकर के माध्यम से समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संशोधित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समस्त उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संभालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का उपयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था को संबद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जाएगी।
- ✓ संस्था के स्वतंत्र निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा पीपीसीआईए/पीआई/पीआई/पीआई के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की संबद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ संबद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निम्नानुसार अनुशासनमय कार्रवाई की जाएगी।

(सुनील कुमार शौनकर)

सचिव

फ़ोन-26113538-4609

दिनांक: 08/08/2021

पता-

प्रधानाचार्य/निदेशक, SAI COLLEGE OF PHARMACY, MAU



(सुनील कुमार शौनकर)

सचिव

